

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या

273 / 2024

दायर दिनांक

10.06.2024

निर्णय दिनांक

03.07.2024


उनवान

1. भंवर लाल धाकड़ पुत्र श्री रामलाल धाकड़ आयु वयस्क निवासी- जहाजपुर रोड़, धाकड़ मोहल्ला, शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज०)
2. विनय शर्मा पुत्र श्री मुकेश कुमार शर्मा आयु वयस्क निवासी 5 एफ 20 तिलनकगर, भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. लादू लाल पुत्र श्री नानूराम सुथार आयु वयस्क निवासी- कारोई तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. अश्विनी कुमार पुत्र श्री विठ्ठलदत्त त्रिवेदी आयु वयस्क निवासी- पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. आनन्द कुमार पुत्र श्री विठ्ठलदत्त त्रिवेदी आयु वयस्क निवासी- पुर तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. किशन पुत्र श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी- पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. शम्भू लाल दत्तक पुत्र हजारी जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी- पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. शम्भू लाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी- पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. सायरी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी - पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. सोहनी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. हेमराज पुत्र श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. हेमराज दत्तक पुत्र श्री मोतीराम जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी- पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. गोपी लाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी- पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. चांदी पुत्री श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

13. जमनी पुत्री श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. नानू पुत्री श्री जोधा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. नानी पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी— पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. बदाम पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी— पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17. बाली पुत्री श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी— पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. रामलाल पुत्र श्री छोगा जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी— पार्वतीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी अनिल कुमार ओझा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू—राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पार्वतीपुरा प०ह० गुरला भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2070—2073 के खाता संख्या 96 की अभिलिखित आराजियात 232/4, 233/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7271 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।


इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 18 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Shad
उपस्थित अधिकारी
भिलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पार्वतीपुरा प०ह० गुरला भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुरला तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 के खाता संख्या 96 की अभिलिखित आराजियात 232/4, 233/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.7271 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्दाद-निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर
भीलवाडा